

अन्तिम विनियम

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल-462016
भोपाल, दिनांक 16 जुलाई, 2004

क्रमांक - 1932 - म.प्र.वि.नि.आ. - 04, केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36) का उपयोग करते हुए धारा 181 (1) और 181 (2) (za) सहपठित धारा 57 (1), 57 (2) और 86 (1) (i) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण संपादन करने के मानक) विनियम, 2004 बनाता है ।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण संपादन करने के मानक) विनियम, 2004

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

- 1.1 इन विनियमों का नाम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मानक पारेषण सम्पादन) विनियम, 2004" कहलाएगा ।
- 1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य में राज्य पारेषण यूटीलिटी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पर लागू होंगे ।
- 1.3 ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे ।
- 1.4 ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएँ

- 2.1 इन मानकों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो ।
- क. "अधिनियम" से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (केन्द्रीय अधिनियम 2003 का 36)
- ख. "आयोग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ।
- ग. "उपभोक्ता" से अभिप्रेत (ऐसा व्यक्ति - जिसको इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित (प्रवृत्त) किसी अन्य विधि के अधीन पब्लिक को विद्युत प्रदाय के कारोबार में लगे हुए लायसेन्सी (अनुज्ञप्तिधारी) या सरकार द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके स्वयं के उपभोग के लिये विद्युत प्रदाय की जाती है और इसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जिसमें लायसेन्सी सरकार या यथास्थिति, अन्य व्यक्ति के कारोबार में जिसके परिसरों (गृह, भूमि) को तत्समय विद्युत प्राप्ति के लिये जोड़ा गया है ।
- घ. "वितरण कोड" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट मध्य प्रदेश वितरण कोड ।
- ड. "वितरण अनुज्ञप्तिधारी" से अभिप्रेत है उपभोक्ता को अपने क्षेत्र में विद्युत प्रदाय करने के लिए किसी वितरण प्रणाली के प्रचालन तथा संधारण के लिए प्राधिकृत कोई अनुज्ञप्तिधारी ।

- च. "वितरण प्रणाली" से अभिप्रेत है पारेषण प्रणाली तथा उत्पादन केन्द्रों के विद्युत प्रदाय बिन्दु तथा उपभोक्ता के परिसर में स्थित संबन्ध बिन्दु के मध्य की प्रणाली।
- छ. "ई.एच.व्ही/ई.एच.टी" से अभिप्रेत है अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (वोल्टेज स्तर 33000 वाट से अधिक)
- ज. विद्युत प्रदाय संहिता:- आयोग द्वारा अनुमोदित म.प्र. विद्युतप्रदाय संहिता 2004
- झ. "उत्पादक कम्पनी" से अभिप्रेत है कोई कम्पनी या निगमित निकाय या व्यक्तियों की संस्था या निकाय चाहे निगमित हो या न हो या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति हो जिसका स्वामित्व हो या जो उत्पादन केन्द्र रखता हो या प्रचालित या अनुरक्षण करता हो।
- ण. "ग्रिड कोड" से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1) (एच) की अनुरूपता के अनुसार तैयार किए गए सिद्धान्तों तथा मार्गदर्शकों का सेट।
- ट. "एच व्ही/एच टी" से अभिप्रेत है हाई वोल्टेज (वोल्टेज लेवल 650 वाट से अधिक किंतु 33000 वाट से अधिक नहीं)
- ठ. "आई ई जी सी" से अभिप्रेत है केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी.ई.आर सी) द्वारा अनुमोदित भारतीय विद्युत ग्रिड कोड तथा इसमें सम्मिलित होगा अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (एच) के अधीन केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया कोई ग्रिड कोड विनिर्दिष्ट करना।
- ड. "अनुज्ञप्तिधारी" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा कोई अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है और इसमें सम्मिलित हैं। म.प्र. राज्य विद्युत मंडल तथा अधिनियम की धारा 131 के उपबंधों के अधीन उनकी उत्तरवर्ती संस्था या कम्पनी।
- ढ. "एल टी" से अभिप्रेत है निम्न वोल्टेज (सामान्य दशा के अन्तर्गत दाब 650 वोल्ट से अधिक न हो)।
- ज. "राज्य पारेषण युटिलिटी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी" से अभिप्रेत है कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन पंजीकृत म.प्र. ऊर्जा पारेषण कम्पनी लिमिटेड।
- प. "एम.पी.एस.ई.बी." से अभिप्रेत है म.प्र. सरकार द्वारा तथा अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व कार्य कर रही विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 की धारा 5 के अधीन गठित म.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड। एम.पी.एस.ई.बी में सम्मिलित है अधिनियम 131 के अनुसरण सृजित उसकी कोई उत्तरवर्ती संस्था या कम्पनी।
- फ. "पी.जी.सी.आई.एल." पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया, अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी
- ब. "म.प्र. अधिनियम" से अभिप्रेत है म.प्र. विद्युत सुधार अधिनियम 2000.
- भ. "नियम" से अभिप्रेत है भारतीय विद्युत नियम 1956 और/या अधिनियम के अधीन बनाये गये कोई अन्य नियम
- म. "एस. एल.डी.सी." से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन स्थापित केन्द्र तथा इसमें सम्मिलित है राज्य में पूर्व से कार्यरत राज्य म.प्र. भार पारेषण केन्द्र (स्टेट

लोड डीस्पेंच सेन्टर) जिसका नियंत्रण कक्ष जबलपुर में है तथा जो राज्य में विद्युत प्रणाली को समंकित प्रचालन सुनिश्चित करता है ।

- न. "राज्य पारेषण प्रणाली से अभिप्रेत है ई.एच.व्ही. विद्युत लाइनो तथा उपकरणो की प्रणाली जो राज्य पारेषण यूटिलिटी उपधारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उत्पादन केन्द्रों, आन्तरिक अन्तर संयोजनों, वितरण पद्धति तथा उससे संसक्त किसी अन्य उपभोक्ता से विद्युत पारेषण के प्रयोजन के लिए संचारित संधारित की जाती है ।
- य. "राज्य पारेषण यूटिलिटी" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा ऐसे रूप में विनिर्दिष्ट बोर्ड या सरकारी कम्पनी से है। "एम.पी.टी.सी.एल" म.प्र. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य पारेषण यूटिलिटी हैं ।
- र. "उपभोक्ता से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति तथा इसमें सम्मिलित है उत्पादन करने वाली कम्पनी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुँच उपभोक्ता जो राज्य पारेषण प्रणाली का उपयोग करता है तथा जिसे ग्रिड कोड के उपबंधों का पालन करना आवश्यक है।
- ल. "डब्लू आर ई बी" से अभिप्रेत है पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड ।
- व. "डब्लू आर एल.डी.सी." से अभिप्रेत है अधिनियम की उप धारा (1) धारा 27 के अर्न्तगत गठित पश्चिम क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र ।
- 2.2 उन शब्द तथा अभिव्यक्तियों का जो प्रयुक्त की गई हैं किन्तु इसमें परिभाषित नहीं है वही अर्थ होगा जो विद्युत अधिनियम, 2003, भारतीय विद्युत ग्रिड कोड, मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड कोड तथा भारतीय विद्युत नियम, 1956 में उनके लिए दिया गया है ।

3. उद्देश्य

- 3.1 ये मानक प्रतिग्राह्य सीमा के भीतर कतिपय समालोचनात्मक ग्रिड पेरामीटर अनुरक्षण के लिए मार्गदर्शक अधिकथित करते हैं। ये मानक विद्युत प्रदाय तथा पारेषण के समीचीन, विश्वसनीय, समन्वित तथा आर्थिक पद्धति उपबंधित राज्य पारेषण यूटिलिटी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए उनके राज्य पारेषण प्रणाली प्रचलित करने हेतु है । इनका उद्देश्य कार्य करने के मानक निम्नानुसार है :-

- (क) यह सुनिश्चित करना कि ग्रिड न्यूनतम मानक जो कि उपभोक्ता पद्धति के लिए मांग तथा पद्धति कृत्य साधित्र के लिए आवश्यक है, की पूर्ति करता है ।
- (ख) उपभोक्ता को समर्थ करना कि जब वे प्रचलन में हो उनकी प्रणाली तथा उपकरणों की डिजाइन विद्युत पर्यावरण को सुसंगत हो ।
- (ग) राज्य पारेषण प्रणाली के गुणवत्ता स्तर को विकसित करना ताकि अल्पकाल (Short term) में राष्ट्रीय तथा राज्यीय नियमों एवं विनियमों में निर्धारित स्तर तथा दीर्घ काल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्राप्त किया जा सके ।

4. संवैधानिक प्रावधान

- 4.1 अधिनियम की धारा 57 के साथ पठित धारा 86 (1) के उपबंधों के अनुसरण में आयोग मध्यप्रदेश राज्य में राज्य पारेषण प्रणाली प्रचालन के लिए राज्य पारेषण यूटिलिटी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए मार्गदर्शक के रूप में सेवाओं की गुणवत्ता, निरन्तरता तथा विश्वसनीयता के बारे में इसमें मानकों का विनिर्दिष्ट किया जाना तथा प्रचालन सुनिश्चित किया जाना ।
- 4.2 अधिनियम की धारा 57(1) नियत करती है कि आयोग अनुज्ञप्तिधारी तथा व्यक्ति से, जिनके कि प्रभावित होने की सम्भावना है, परामर्श करने के पश्चात अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारियों के किसी वर्ग के अनुपालन के मानक विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।
- 4.3 धारा 57 की उपधारा (2) में उपबंध है कि यदि उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करने में अनुज्ञप्तिधारी असफल रहता है तो किसी शास्ति को जो अभिरोपित की जा सकेगी या अभियोजन संस्थित या प्रारम्भ किया जा सकेगा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना वह प्रभावित व्यक्ति को ऐसा प्रतिकर देने का दायित्वाधीन होगा जैसा कि समुचित आयोग द्वारा अवधारित किया जाए :
- परन्तु यह प्रतिकर अवधारित किए जाने से पूर्व संबंधित अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा ।
- 4.4 धारा 86 (1) (आई) के उपबंधों के अधीन आयोग से अपेक्षा है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सेवा की गुणवत्ता, तथा विश्वसनीयता के बारे में मानकों को विनिर्दिष्ट किया जाए तथा प्रवृत्त किया जाए ।
- 4.5 अधिनियम की धारा 59 में मानकों के स्तर के संबंध में उपबंध है । यह इन विनियमों की धारा 7 में निहित है । कार्य करने के मानकों पर तिमाही रिपोर्ट तथा अधिनियम की धारा 59 (2) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन पर उपबंधित करती है ।
- 4.6 कार्य करने के मानकों को पूरा करने में असफल रहता है तथा विनियमों के अनुपालन के अंतर्गत प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति का भुगतान किए जाने में असफल रहता है तो अधिनियम की धारा 142 के अनुसार है शास्ति तथा अभियोजन का उपबंध है ।
- 4.7 आयोग अधिनियम की धारा 181 के अधीन विनियमन के रूप में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के कार्य करने के ये मानक जारी करने का प्रस्ताव है ।

5. कार्य करने के मानक

- 5.1 पारेषण कार्य करने के मानक दो वर्गों में निम्नानुसार है :-
- (क) प्रवर्ग-क वे कार्य करने के मानक जहाँ धारा 57 की उपधारा (2) के उपबंध विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करने में असफल करने के लिए लागू हैं ।
- (ख) प्रवर्ग-ख वे कार्य करने के मानक जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सेवाओं की गुणवत्ता, निरन्तरता तथा विश्वसनीयता उपलब्ध कराने में वांछनीय है, जिन्हे आयोग अपने कृत्यों के निर्वहन में विनिर्दिष्ट करे किन्तु तथापि धारा 57 की उपधारा (2) के उपबंध आकर्षित नहीं करते हैं ।
- 5.2 प्रवर्ग-क के अधीन निम्नलिखित मानकों तथा अज्ञापन मानक :-

- (क) दाब अन्तर (वोल्टेज वेरीएशन)
- (ख) आवृत्ति अन्तर (फ्रीक्वेंसी वेरीएशन)
- (ग) सुरक्षा मानक

ये कानूनी मानक विद्युत नियम, 1956 के अनुसार अनुज्ञापिधारी द्वारा पालन किए जाने वाले मानक है । अधिनियम की धारा 53 के अधीन नए नियम राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाएंगे । ये मानक अधिनियम के अधीन नए नियम प्रवृत्त में आने के पश्चात पुनरीक्षित किए जाएंगे ।

5.3 प्रवर्ग ख के मानक अधिनियम की धारा 86 (1)(एक) के अधीन उपभोक्ताओं को सेवाओं की गुणवत्ता, निरन्तरता तथा विश्वसनीयता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विनिर्दिष्ट किए गए है । आयोग प्रत्येक पेरामीटर के क्रियान्वयन/पालन के लिए समय अनुसूची नियत करेगा ।

5.4 निम्नलिखित मानक प्रवर्ग-ख के अधीन वांछनीय उपलब्धियां विनिर्दिष्ट की गई है :-

- (क) फीडर उपलब्धता
- (ख) उप केन्द्र उपलब्धता
- (ग) दाब असंतुलन (वोल्टेज असंतुलन)
- (घ) न्यूट्रल दाब (वोल्टेज) डिसप्लेसमेंट (एन. व्ही. डी.)
- (ङ) दाब (वोल्टेज) अन्तर इन्डेक्स (बी. व्ही आई)
- (च) आवृत्ति अन्तर इन्डेक्स (एफ व्ही आई)
- (छ) सप्लाई (प्रदाय) दाब (वोल्टेज) में हारमोनिक्स
- (ज) प्रणाली औसत व्यवधान आवृत्ति इन्डेक्स (एस ए आई एफ आई)
- (झ) प्रणाली औसत व्यवधान काल इन्डेक्स(एस ए आई डी आई)
- (अ) प्रणाली एडीक्वेंसी
- (ड) प्रणाली सुरक्षा

प्रवर्ग क: मानक :-

6.1 क्रियान्वयन का कार्यक्रम :-

इन मानक स्तर के क्रियान्वयन हेतु अनुज्ञापिधारी के पूर्णतः तैयार न होने की स्थिति में इन्हें निम्न 3 स्तरों में बांटा गया है :-

अ. संक्रमण स्तर (स्तर - 1)

आयोग के द्वारा इन मानक स्तरों के अनुमोदन के तुरन्त बाद से अकेले दो वर्ष के लिये यह प्रभावशील रहेगा । इस प्राथमिक स्तर के दौरान स्तर - 1 में दर्शाये गये स्तरों को प्राप्त करना होगा ।

- ब. संक्रमण काल स्तर (स्तर - 2)
प्राथमिक स्तर समाप्ति के अगले 3 वर्षों का काल संक्रमण काल माना जावेगा । इस दौरान अनुज्ञप्तिधारी को स्तर - 2 में दर्शाये गये मानकों को प्राप्त करना होगा तथा इसके लिये आवश्यक प्रणाली में सुधार भी करना होगा ।
- स. अन्तिम स्तर (स्तर - 3)
संक्रमण काल की समाप्ति के पश्चात यह माना जावेगा कि प्रणाली में आवश्यक सुधार संतोषप्रद स्थिति में आ गया है । स्तर - 3 में दर्शाये गये मानकों को इस अन्तिम स्तर के दौरान प्राप्त करना आवश्यक है ।

6.2 समस्त प्रकार के मामलों में जहां उपर्युक्त प्राधिकरणों द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है। उदाहरणार्थ : विद्युत नियम 1956, वह मानक प्राथमिक स्तर से लागू माना जावेगा ।

6.3 कार्य करने के वे पैरामीटर जहाँ धारा 57 की उपधारा (2) के उपबंध विनिर्दिष्ट मानको के पूरा करने में चूक के लिए लागू है । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पालन करने के लिये अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन कार्य करने के मानक है ।

6.4 आयोग प्रवर्ग क: के अधीन निम्नलिखित मानक विनिर्दिष्ट करता है ।

(अ) दाब अन्तर (वोल्टेज वेरिएशन)

(i) दाब अन्तर, दाब के मूल्य उसके सामान्य मूल्य प्रतिशत में अभिव्यक्त रूट-मीन स्क्वायर (आर एम एस) के विचलन के रूप में परिमाणित है । दाब अन्तर या तो अल्पकालिक जो एक मिनट से कम या दीर्घकाल एक मिनट से अधिक समय के लिए किया जाएगा ।

(ii) इन मानकों के प्रयोजन के लिए, स्टीडी स्टेट दाब में अविरत दाब अन्तर की विनिर्दिष्ट ग्राह्य सीमा उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां परिस्थितियां राज्य पारेषण यूटिलिटी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण सेयुक्तियुक्त परे है अर्थात् मेजर ब्रेक डाऊन, ग्रीड फेलुअर, दुर्घटना, प्रणाली डिसट्रेस शर्तें आदि ।

(iii) राज्य पारेषण यूटिलिटी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी समस्त संभव प्रयास सुनिश्चित करेगा कि ग्रीड दाब पर वास्तविक समय आधार पर उसके पारेषण के समस्त ई एच व्ही उप केन्द्रों पर निम्नलिखित दाब स्तर के भीतर बना रहे ।

दाब (कि.वाट आर एम एस)

सामान्य	अधिकतम	न्यूनतम	संदर्भ
400	420(+5 प्रतिशत)	360 (-10 प्रतिशत)	आई ई जी सी
220	245(+10 प्रतिशत)	198 (-10 प्रतिशत)	आई ई जी सी
132	145.20 (+10 प्रतिशत)	118.80 (-10 प्रतिशत)	"
66	72.60(+10 प्रतिशत)	59.40(-10 प्रतिशत)	आई ई नियम, 1956
33	34.98(+6 प्रतिशत)	30.03(-9 प्रतिशत)	"
11	11.66(+6 प्रतिशत)	10.01(-9 प्रतिशत)	"

उपर्युक्त मानकों का अनुपालन निम्न शर्तों के अधीन होगा ।

1. पी.जी.सी.आई.एल. के द्वारा आई.ई.जी.सी. में निर्धारित स्तर पर राज्य पारेषण युटिलिटी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के इन्टरफेस बिन्दु पर वोल्टेज दिया गया हो ।
2. वितरण कम्पनियों के द्वारा विद्युत का आहरण 0.95 पावर फैक्टर पर किया गया हों ।
3. समस्त पारेषण लाईनों पर साधारण परिस्थितियों सर्जइम्पिडेंस लोडिंग (एस.आई.एल.) के बराबर लोडिंग नियमित हो ।

(ब) आवृत्ति अन्तर (फ्रीक्वेंसी वेरिएशन)

राज्य पारेषण पद्धति हमेशा पश्चिम ग्रिड के अविरत भाग के रूप में प्रचलित होती है । फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट का पश्चिम ग्रिड के समस्त क्षेत्रों का संयुक्त उत्तरदायित्व होता है । राज्य पारेषण युटिलिटी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का आई ई जी सी के उपबंधों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे। अपनी जिम्मेदारी निम्नलिखित विनिर्दिष्ट रेंज के भीतर आवृत्ति रखने की उत्तरदायित्व पूरा करेंगे ।

लक्ष्य रेंज आई ई जी सी के अनुसार	अन्तर (प्रतिशत)	मूल्य (एच जेड)
उच्च सीमा	+ 1%	50.5 एच जेड
निम्न सीमा	-2 %	49.0 एच जेड
कानूनी प्रतिग्राह्य सीमा भारतीय विद्युतनिगम,1956 के अनुसार	अन्तर (प्रतिशत)	मूल्य(प्रतिशत)
उच्च सीमा	+3 %	51.5 एच जेड
निम्न सीमा	-3	48.5 एच जेड

अत्यधिक दूरतम परिस्थितियों में प्रणाली की सुरक्षा को दृष्टिगत रखने हुए डब्लू.आर.एल.डी. सी/डब्लू.आर.ई.बी. के द्वारा विभिन्न अवसरों पर आवृत्ति सीमा निर्धारित की जा सकेगी ।

प्रवर्ग एवं मानक :-

(स) सुरक्षा मानक

- (i) राज्य पारेषण यूटिलिटी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय लाईन तथा उपकरण के निर्माण, विद्युत रोधन, संरक्षण, प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए भारतीय विद्युत नियम, 1956 में यथा अधिकथित सामान्य सुरक्षा अपेक्षाओं का पालन करेगा ।

धारा 29 से 46
धारा 74 से 81
धारा 87 से 88
धारा 90
धारा 91
धारा 92
धारा 93

सामान्य सुरक्षा अपेक्षाएं
समर्पित मानक तथा सुरक्षा निकासी
लाइन कांसिंग तथा गार्डिंग
अर्थिंग
सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक डिवाइस
तड़ित (लाइटनिंग) के विरुद्ध संरक्षण
बिना उपयोग की ओवर हेड लाइन

- (ii) राज्य पारेषण यूटिलिटी/पारेषण अनुज्ञापिधारी कार्य हाथ में लेने के पूर्व, कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात् सुरक्षा प्रक्रिया के समन्वय के लिए ग्रिड कोड में यथा विनिर्दिष्ट सूचित नियंत्रण व्यक्तियों को पदाविहित करेगा ।
- (iii) राज्य पारेषण यूटिलिटी/पारेषण अनुज्ञापिधारी अपनी स्वयं की प्रवर्तन तथा अनुरक्षण संहिता (मैनुअल) (सुरक्षा विनियमन सम्मिलित करते हुए) विद्युत लाईन के निर्माण, प्रवर्तन तथा अनुरक्षण के लिए सुरक्षा अपेक्षाओं का विचारण कर विकास करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 73 के खण्ड (ग) के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

प्रवर्ग ख मानक :-

- 6.5 ये मानक स्तर आयोग द्वारा अनुज्ञापिधारी के लिये अच्छी गुणवक्ता, निरंतरता तथा विश्वसनीय सेवा प्रदान करने हेतु निर्धारित किये गये हैं तथापि ये अधिनियम की धारा 57 उपधारा (2) के प्रावधान आकर्षित नहीं करते हैं। ये स्तर सेवा की गुणवक्ता, निरंतरता तथा विश्वसनीयता के लिये वांछनीय है ।
- 6.6 प्रवर्ग ख में वर्णित इन मानकों के लिये आयोग, कम से कम 1 वर्ष की आधार सामग्री का संग्रहण करने के उपरांत स्तरांक तय करेगा तथा इन्हे आने वाले वर्षों में राज्य पारेषण यूटिलिटी/पारेषण अनुज्ञापिधारी के कार्य सम्पादन के स्तर को देखते हुए पुनरीक्षित करेगा ।
- 6.7 प्रवर्ग ख में आयोग निम्नलिखित मानक विनिर्दिष्ट करता है ।

(अ) फीडर उपलब्धता :-

फीडर उपलब्धता, प्रतिशत समय फीडर पारेषण हेतु उपलब्ध रहा यह दर्शाता है। फीडर उपलब्धता की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जावेगी ।

$$\text{प्रतिशत फीडर उपलब्धता} = \frac{\text{पूर्ण उपलब्धता (घंटे)} - \text{वार्षिक अनुपलब्धता (घंटे)}}{\text{पूर्ण उपलब्धता (घंटे)}} \times 100$$

प्रवर्ग ख मानक :-

- अ आयोग प्रवर्ग ख में निम्नलिखित मानक विनिर्दिष्ट करता है :-
लीप वर्षों के अलावा पूर्ण उपलब्धता 8760 घंटे होगी.

प्राथमिक-स्तर 1 (Preliminary)	95 प्रतिशत
संक्रमण-स्तर 2 (Trarsition)	97 प्रतिशत
अंतिम-स्तर 3 (Final)	95 प्रतिशत

ब उपकेन्द्र उपलब्धता

प्रतिशत उपकेन्द्र उपलब्धता से उपकेन्द्र से पारेषण क्षमता की उपलब्धता ज्ञात होती है । इसकी गणना निम्न लिखित सूत्र से की जाती है ।

$$\text{प्रतिशत उपकेन्द्र उपलब्धता} = \frac{\text{पूर्ण स्थापित क्षमता } \frac{1}{4} \text{MVA} \frac{1}{2} \times 8760 - \text{वार्षिक अनुपलब्धता MVA} \times \text{घंटे}}{\text{पूर्ण स्थापित क्षमता} \times 8760} \times 100$$

प्राथमिक-स्तर 1	95 प्रतिशत
संक्रमण-स्तर 2	97 प्रतिशत
अंतिम-स्तर 3	98 प्रतिशत

(स) **असंतुलित वोल्टेज (दाब)**

तीन फेज प्रदाय का फेज दाब परिमाण तथा फेज एंगल में बराबर होगा। प्रत्येक फेज पर लोड (भार) संतुलित होगा। असंतुलित वोल्टेज के घटी हुई दक्षता, निगेटिव टारक्य, कम्पन तथा ओवर हीटिंग के परिणाम होंगे। अत्यधिक असंतुलन उपकरणों को खराब कर सकता है। एक्सरे मशीन, विद्युत कर्षण, प्रेरण तथा आर्क फरनेस दाब प्रदाय में असंतुलन उत्प्रेरित करते हैं।

दाब असंतुलन प्रतिशत

$$= \frac{(\text{VRY, VYB, VBR}) \text{ वोल्टेज का औसत से अधिकतम विकलन}}{(\text{VRY, VYB, VBR}) \text{ का औसत वोल्टेज}} \times 100$$

बशर्तें वितरण अनुज्ञप्तिधारी-ग्रिड कोड की कनेक्शन शर्तों को पूरा करेगा। वोल्टेज असंतुलन निम्न सीमाओं के भीतर होना चाहिये।

दाब स्तर	असंतुलित दाब की सीमा	कार्यान्वयन का स्तर
220 के.वी तथा उससे ऊपर	2 प्रतिशत	प्राथमिक-1
132 के.वी	3 प्रतिशत	संक्रमण-2
अ.उ.दाब उपकेन्द्र में 33 तथा 11 के.वी.बस	3 प्रतिशत	संक्रमण-2

वितरण प्रणाली सहित अन्तर संयोजन बिन्दु से असंतुलित दाब के लिए उपरोक्त सीमा दोनों फेजों के बीच 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर चालू असंतुलन बनाए रखना वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अधीन है किसी उप केन्द्र से एक दाब वर्ग निर्गमन का समस्त फीडरों के लिए विनिर्दिष्ट भार जैसे रेल्वे कर्षण आदि पक्ति में तीन उप केन्द्रों से मापित के सिवाय लागू है।

यह वोल्टेज असंतुलन को उपकेन्द्रों में 1 प्रतिशत सीमा वाले एक्यूरेसी क्लास के उपकरणों से मापा जावेगा।

(द) **न्यूट्रल दाब का विस्थापन (एन व्ही डी)**

(i) असंतुलित तीन फेस भार के कारण न्यूट्रल भूमि बिन्दु से अलग हो जाता है। न्यूट्रल विस्थापन ठोस भूमिगत "स्टार बिन्दु" से ट्रॉसफारमर के लिए लागू होना है पर दाब जीरो के बराबर होगा। किंतु वास्तव में स्टार बिन्दु का असंतुलन के कारण प्रतिरोध होता है इसके परिणाम स्वरूप ऋणात्मक विद्युत प्रवाह (क्योंकि $I_r + I_y + I_0 \neq 0$) भूमि से न्यूट्रल के माध्यम से होता है अतएव न्यूट्रल भूमि से विस्थापित हो जाता है।

(ii) असंतुलन दाब तथा न्यूट्रल का विस्थापन दक्षता, निगेटिव टार्क, विद्युत लीकेज, कम्पन तथा ओवर हीटिंग के लिये उत्तरदायी है। गंभीर असंतुलन तथा न्यूट्रल विस्थापन कुछ उपकरणों को खराब कर सकता है। भार के कुछ प्रकार जैसे एक्सरे मशीन, विद्युत कर्षण, इनडक्शन तथा आर्क भट्टिया प्रदाय दाब में असंतुलन उत्प्रेरित कर भूमि से न्यूट्रल का दाब विस्थापित कर सकते हैं।

(iii) राज्य पारेषण यूटिलिटी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ट्रॉसफारमर का न्यूट्रल बिन्दु दाब 2 प्रतिशत से अधिक का नहीं हो। यह मानक स्तर निम्नलिखित के लिये होगा।

- (क) समस्त ई एच व्ही ट्रॉसफारमर का स्टार बिन्दु निम्न दाब साइड 33 के. वी. पर तथा
 (ख) निम्न दाब साइड पर 11 के.वी. रखने वाले समस्त ई एच व्ही ट्रॉसफारमर का स्टार बिन्दु ।

(इ) **विद्युत दाब परिवर्तन इन्डेक्स (व्ही.व्ही.आई)**

विनिर्दिष्ट समय की अवधि सामान्य मूल्य (प्रतिशत में) से विद्युत दाब परिवर्तन की डिग्री प्रस्तुति करने वाला विद्युत दाब परिवर्तन इन्डेक्स निम्नलिखित सूत्र (फार्मूला) के अनुसार उच्च से सामान्य प्रणाली तथा निम्न से सामान्य प्रणाली दाब के लिए रा.पा.यू/पा.आ. द्वारा पृथक रूप से संगणित किया जाएगा ।

$$VVI = \frac{100}{V_s} \times \text{Square Root of } \frac{\sum_{i=1}^N (V_i - V_s)^2}{N}$$

जहाँ

वोल्टेज (दाब) का

V_i = किसी घंटे में मापा गया RMS मूल्य

V_s = वोल्टेज (दाब) का सामान्य RMS मूल्य (400, 220 तथा 132 के.वी. पर

N = घंटेवार लिये गये वोल्टेज (दाब) की कुल संख्या

दोषपूर्ण मीटरिंग से डाटा या असाधारण डाटा संगणना में छोड़ दिया जाएगा । विद्युत दाब परिवर्तन इन्डेक का मूल्य प्रतिमाह निम्न स्तर के लिये संगणित किया जावेगा ।

प्राथमिक स्तर-1	<=10	90 प्रतिशत से अधिक बसों के लिये
संक्रमण स्तर-2	<=6	"
अंतिम स्तर-3	<=4	"

(फ) **आवृत्ति परिवर्तन इन्डेक्स (एफ व्ही आई)**

विनिर्दिष्ट किसी समय की अवधि में 50 के सामान्य मूल्य से आवृत्ति परिवर्तन की डिग्री से परिवर्तन प्रस्तुत करने वाला इन्डेक्स :

$$FVI = 10 \times \frac{\sum_{i=1}^N (F_i - 50)^2}{N}$$

जहाँ,

F_i = ith समय अवधि में वास्तविक आवृत्ति

N = विनिर्दिष्ट समय की अवधि पर माप की संख्या

राज्य पारेषण यूटिलिटी/पारेषण अनुज्ञापिधारी, आई.ई.जी.सी. में विनिर्दिष्ट आवृत्ति परिवर्तन इन्डेक्स का पश्चिम क्षेत्र में लागू किये जाने वाले मानकों का पालन करेंगे । आवृत्ति परिवर्तन इन्डेक्स समस्त पश्चिम क्षेत्र के सदस्यों की सामूहिक जिम्मेदारी हो ।

प्राथमिक स्तर-1	<=	2.0
संक्रमण स्तर-2	<=	1.0
अंतिम स्तर-3	<=	0.5

(ग) **वोल्टेज सप्लाई में हारमोनिक्स**

ऊर्जा प्रणाली में भार फण्डामेंटल फ्रीक्वेंसी (मूल आवृत्ति) के गुणों की आवृत्तियों पर करंट तथा (दाब) बोल्टेज उत्पन्न करते हैं। ये गुणोंक फ्रीक्वेंसी बोल्टेज तथा करंट हारमोनिक्स कहलाते हैं। तथा उनका अनुपात मूल फ्रीक्वेंसी से हारमोनिक आर्डर कहलाता है। तथा ये हारमोनिक इफेक्ट प्रणाली प्रचालन तथा उपकरणों का जीवन काल प्रभावित करते हैं। अयुग्म क्रम हारमोनिक्स अर्वाँछनीय होती हैं। विशेषकर हारमोनिक्स का प्रभाव औद्योगिक उप केन्द्रों में अधिक उग्र होता है। भार (लोड) के कुछ प्रकार जैसे इनडक्शन तथा आर्क फरनेस (प्रेरण तथा आर्क भट्टी), इलेक्ट्रोमेगनेटिक उपस्कर यथा एक्स-रे मशीन इत्यादि दाब (बोल्टेज) प्रदाय में हारमोनिक्स उत्पन्न करते हैं। वितरण अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य पारेषण यूटिलिटी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से अन्तः संयोजन विन्दु पर सम्बद्ध भार किसी हारमोनिक्स बोल्टेज उत्पन्न नहीं करेगा तथा तरंग (वेवफार्म) प्रदाय को विकृत नहीं करेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अध्यक्षीन रहते हुए राज्य पारेषण यूटिलिटी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इस बारे में ग्रिड कोड संयोजन शर्तों को देखते हुए उपभोक्ताओं (वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, उत्पादक कम्पनियों तथा ई एच व्ही उपभोक्ता) तथा पारेषण प्रणाली पर आवस्थित अन्य युक्ति के प्रदाय बिन्दु से बोल्टेज हारमोनिक्स स्तरों की मानीटर करेगा बोल्टेज प्रदाय के हारमोनिक्स अर्न्तर्वस्तु (कनटेन्ट्स) निम्नलिखित सूत्र (इनडासेस) द्वारा अभिदर्शित किया है:-

$$VTHD = \sqrt{\sum_{i=1}^{40} \frac{V_i^2}{V_1^2}} \times 100\%$$

$$VIHD = \frac{V_i^2}{V_1} \times 100\%$$

जहाँ

- V_i : बोल्टेज का हारमोनिक i th है
 V_1 : फण्डामेंटल फ्रीक्वेंसी (50 Hz) बोल्टेज
 $VIHD$: बोल्टेज टोटल हारमोनिक डिस्टोरेशन
 $VIHD$: i th हारमोनिक का बोल्टेज डिस्टोरेशन

हारमोनिक माप आई सी ई मानक 1000-4-7 या आई ई ई मानक 519 से प्रमाणित होगा। आई ई सी मानक 1000-4-7 के अनुसार अवधारित बोल्टेज में कुल हारमोनिक वक्रता (टी एच डी) ई एच व्ही प्रणाली के अन्तः संयोजन विन्दु से 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। माप 10 मिनट के अन्तराल से लिया जाएगा तथा प्रति साइट एक सप्ताह के तक होगा। राज्य पारेषण यूटिलिटी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे अन्तर संयोजन पाइन्ट युक्ति से टी एच डी माप होगा जहाँ छह माह के नियमित अन्तराल पर हारमोनिक बोल्टेज उत्पादन होने पर विचार किया जाएगा। राज्य पारेषण यूटिलिटी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हारमोनिक माप की उत्पादक कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी को अग्रिम में कम से कम 7 दिन पूर्व सूचना देगा ताकि उनके अभयावेदन ऐसे माप के दौरान प्रस्तुत किया जा सके। राज्य पारेषण यूटिलिटी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी समस्त मीटरिंग पाइन्ट्स की एक सूची बनाएगा जो उपचारी उपाय करने के लिए हारमोनिक उत्पादन से संबंधित हों।

6.8 औसत प्रणाली व्यवधान आवृत्ति प्रणाली इन्डेक्स (सिस्टम एवरेज इन्ट्रपशन फ़िक्वेंसी इन्डेक्स (एस ए आई एफ आई) :-

यह इन्डेक्स किसी बोल्टेज के लिए प्रति ई एच व्ही उपकेन्द्रप्रतिवर्ष अभिव्यक्त भार में ऊर्जा प्रणाली में व्यवधानों की संख्या देता है। प्राकृतिक कार्य के कारण जैसे (भूकम्प, बाढ़, तूफान इत्यादि), आग सिविल/मिलिट्री प्राधिकारियों के आदेश, अधिसूचित कटौती (कृषि पम्प

सेट के थ्री शिफ्ट प्रचालन को सम्मिलित करते हुए पी जी सी आई एल पारेषण प्रणाली का असफल होना, या किसी समय पर पांच मिनट से अधिक के दौरान की उत्पादक इकाइयों (ग्रिड फ्लोअर या सिस्टम आइग लेंडिंग से होने के फेल होने के सिवाय समस्त व्यवधान को इन्डेक्स का गणना करने में गिना जाएगा।

$$SAIF\ 1 = \sum (A_i \times N_i) / N$$

जहाँ

A_i = वर्ष के दौरान दी गई बोल्टेज श्रेणी में किसी समयावधि के दौरान 5 मिनट से अधिक व्यवधानों की संख्या है।

N_i = i th फीडर का सम्बद्ध भार जो व्यवधान से प्रभावित हुआ हो

N = कुल संबन्ध भार

N = अति उच्च दाब उपकेन्द्रों से निकलने वालो से निकलने वाली 33 के.वी. तथा 11 के.वी. के फीडरों की संख्या

स्तर	SAIFI
प्राथमिक स्तर -1	कोई सीमा नहीं
संक्रमण स्तर -2	व्यवधान प्रति वर्ष
अंतिम स्तर -3	व्यवधान प्रति वर्ष

अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर आयोग इस इन्डेक्स को अधिसूचित करेगा।

6.9 औसत व्यवधान अवधि प्रणाली इन्डेक्स (SAIDI)

यह इन्डेक्स प्रणाली पर कुल सम्बद्ध भार के संदर्भ में वर्ष में औसत व्यवधान भार देता है। किसी वर्ष में किसी भी समय पर पांच मिनट से अधिक के दौरान के लिए समस्त व्यवधान को इन्डेक्स की गणना करने में गिना जाएगा। प्राकृतिक कार्य सिविल/मिलिट्री प्राधिकारियों के आदेश, अधिसूचित कटौती (कृषि पम्प सेट के थ्री शिफ्ट प्रचालन को सम्मिलित करते हुए), केपेसिटी शार्टेज को पूरा करने हेतु लोड, शैडिंग, पी जी सी आई एल पारेषण प्रणाली का असफल होना या उत्पादन इकाइयों का असफल (ग्रिड फ्लोअर या सिस्टम से होने वाली लीडिंग) होने के कारण व्यवधानों को तथापि इस इन्डेक्स की संगणना में अपवर्जित किया जाएगा। एस ए आई डी आई (SAIDI) किसी बोल्टेज श्रेणी के लिए वार्षिक आधार पर प्रति ई एच व्ही उपकेन्द्र औसत व्यवधान समय की माप देता है।

$$SAIDI = \sum (B_i \times N_i) / N$$

जहाँ

B_i = 5 मिनट से ज्यादा के कुल व्यवधानो का समय जो i th फीडर पर (समस्त 33 के.वी. तथा 11 के.वी. फीडरों पर) प्रतिमाह निकाला जावेगा।

N_i = i th फीडर पर संबन्ध भार जो व्यवधान से प्रभावित होता है

N_x = वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र का कुल संबन्ध भार

N = 33 के.वी. तथा 11 के.वी. के अति उच्च दाब उपकेन्द्र से निकलने वाले फीडरों की संख्या

स्तर	SAIDI
प्राथमिक स्तर-1	कोई सीमा नहीं
संक्रमण स्तर-2	घंटे/वर्ष
अंतिम स्तर-3	घंटे/वर्ष

अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आयोग इस इन्डेक्स के स्तर को अधिसूचित करेगा।

6.10 प्रणाली की पर्याप्तता (एडीक्वैसी)

यह सम्पूर्ण प्रणाली में उत्पादन केन्द्रों से आई ऊर्जा अथवा उपभोक्ताओं के द्वारा प्रणाली पर डाली गई कुल विद्युत मांग पूरी करने की क्षमता है। इसमें समस्त व्यवधान भी सम्मिलित है। ऊर्जा प्रणाली की पर्याप्तता प्रायः भार अधिसंभाव्यता की हानि के निबन्धन में मापित होती है। एल ओ एल पी पारेषण प्रणाली क्षमता की अधिसंभाव्यता होती है जिसे भार प्रणाली पूरा करने में असमर्थ होती है। एल ओ एल पी प्रति वर्ष घंटों में प्रत्याशित भार की हानि (एल ओ एल ई) के रूप में भी अभिव्यक्त हो सकती है। यह माप कुल क्षमता में आई कमी (समय तथा भार क्षमता) को नहीं मानती है। राज्य पारेषण यूटीलिटि/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित प्रतिशत में एल ओ एल ई घंटे प्राप्त करने की प्रत्याशा करती है।

क्रियान्वयन प्रक्रम	वर्ष में घंटों की संख्या जब प्रणाली मांग को पूर्णरूप से पूरा करने उत्पादन उपलब्धता के अध्यधीन हो सकेगा, A	वर्ष में घंटों की संख्या जब प्रणाली मांग को उत्पादन उपलब्धता को पूर्णरूप से पूरा नहीं कर सकती (B=8760-A)	प्रत्याशित भार एल.ओ.एल.ई का आकलन घंटों का प्रतिशत Bx100/8760
प्राथमिक स्तर	7008	1752	20 प्रतिशत
संक्रमण स्तर	8064	696	8 प्रतिशत
अंतिम स्तर	8664	96	1 प्रतिशत

6.11 प्रणाली सुरक्षा

यह विद्युत प्रणाली में अचानक व्यवधान यथा विद्युत शार्ट सर्किट या प्रणाली के किसी अवयव में अप्रत्याशित हानि को रोकने की क्षमता होती है सुरक्षा मापदण्ड प्रणाली के विवरण के लिए सी ई ए द्वारा पारेषण प्लानिंग मापदण्ड पर संहिता के क्लास 6 में निर्दिष्ट है। राज्य पारेषण प्रणाली में "N-1" में सुरक्षा स्तर के लिये संपाकित होगी जो किसी एक अवयव की हानि से प्रणाली अप्रभावित रहेगी। अर्थात् अत्यधिक तीव्रता वाले दोष (फाल्ट) जैसे किसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर/या किसी मुख्य लाईन में व्यवधान के आने पर भी प्रणाली असंतुलित नहीं होनी चाहिये। पारेषण लाईन तथा ट्रांसफार्मर इस परिस्थिति में 15 मिनट तक कार्यशील रहें तथा वोल्टेज में कमी 15 प्रतिशत से ज्यादा न हो जब प्रणाली में विद्युत आघात 20 प्रतिशत बढ़ रहा हो। राज्य पारेषण युटिलिटि/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी प्रणाली सुरक्षा का स्तर – N-1 तथा अतिरिक्त रिजर्व मार्जिन की स्थिति के साथ बनाये रखेंगे।

प्राथमिक स्तर	—	कोई आवश्यकता नहीं
संक्रमण स्तर	—	प्रणाली के अधिकतम भार का 0.5 प्रतिशत
अंतिम स्तर	—	प्रणाली के अधिकतम भार का 1 प्रतिशत

7. रिपोर्टिंग आवश्यकता तथा अनुपालन

7.1 तिमाही रिपोर्ट :-

राज्य पारेषण युटिलिटि/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग को इन मानकों में अधिकथित कार्य करने के मानको की तुलना में वास्तविक कार्य करने पर तिमाही के समाप्त होने के तीस दिन के भीतर अनुलग्नक-क में निहित प्रारूप में एक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तिमाही रिपोर्ट संबंधित समस्त पैरामीटरों में अन्तर्विष्ट होगी चाहे ऐसा पैरामीटर चालू तिमाही को लागू हो अथवा न हो। राज्य पारेषण युटिलिटि/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी एल सर्किल स्तर पर तिमाही रिपोर्ट के पूर्ण करने के लिए उपकेन्द्र स्तर पर डाटा वेस जैसे लॉग शीट, शिकायत रजिस्टर

तथा व्यवधान रजिस्टर आदि संधारण करेगा। समेकित रिपोर्ट सर्किल वाइज (केन्द्र वार) पर पूर्ण संकलन के लिए वृत्त बार (सर्किल वाइज) संकलन पर आधारित होगी।

उपकेन्द्र स्तर पर वृत्त बार (सर्किल वाइज) संकलन तथा डाटा वेस की समीक्षा आयोग के अध्यक्षीन की जा सकेगी जैसा कि आवश्यक हो।

7.2 इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, एक तिमाही निम्नानुसार माना जाएगा।

पहली तिमाही-1	अप्रैल से जून
दूसरी तिमाही-2	जुलाई से सितम्बर
तीसरी तिमाही-3	अक्टूबर से दिसम्बर
चौथी तिमाही-4	जनवरी से मार्च

7.3 आयोग, समय-समय पर, विनियम/प्रारूप की अर्न्तवस्तु पुनरीक्षित कर सकेगा या अतिरिक्त जानकारी के लिए नये विनियम/प्रारूप जोड़ सकेगा।

7.4 कागज प्रतियों के अतिरिक्त जानकारी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जाएगी जैसा कि आयोग निर्देश दे या कम्पेक्ट डिस्क या ई-मेल के माध्यम से दे।

7.5 अनुपालन :-

(अ) राज्य पारेषण यूटीलिटी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के सम्पूर्ण कार्य करने के मानकों को पूरा करने में असफल रहने पर प्रभावित यूटिलिटी/उपभोक्ताओं राज्य पारेषण यूटीलिटी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से उसके द्वारा प्रभावित हानि/क्षति के लिए सहायता क्षतिपूर्ति चाहने का हकदार (पात्र) होंगे जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाए।

(ब) राज्य पारेषण युटिलिटी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे जुर्माने/शक्ति तथा प्रभारों के अध्यक्षीन होंगे जो आयोग अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए विनियमों में यथा उपबंधित अधिरोपित करे।

(स) आयोग अपने स्वयंम के विवेक से राज्य पारेषण यूटीलिटी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा करेगा कि वह वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ अवधारन के लिए अपनी याचिका सहित आयोग को विनिर्दिष्ट मानकों के विरुद्ध संधारित वास्तविक कार्य करने के स्तर पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जो आयोग द्वारा टैरिफ निर्धारण के लिए जन-सुनवाई के अध्यक्षीन होगी।

8. विविध :-

कार्य करने के मानक का वार्षिक पुनर्विलोकन :-

8.1 आयोग, राज्य पारेषण यूटीलिटी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के परामर्श से वार्षिक रूप से उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट पारेषण प्रणाली के लिये कार्य करने के मानकों को पुनरीक्षित करेगा। आयोग द्वारा प्रथम वार्षिक पुनर्विलोकन मार्च, 2005 में किया जाएगा।

सूचना का उपयोग :

8.2 आयोग के पास राज्य पारेषण युटिलिटी/पारेषण अंकेक्षण के द्वारा प्रदत्त जानकारी के उपयोग के अधिकार रहेंगे। जैसे जानकारियों का प्रकाशन या आयोग की वेबसाईट में प्रकाशन तथा/या राज्य पारेषण युटिलिटी/पारेषण अंकेक्षण को अपनी वेबसाईट में प्रदर्शन हेतु निर्देशित करता, जैसा आयोग उचित समझे।

संशोधन की शक्ति :

8.3 आयोग किसी भी समय इन विनियमों को बढ़ा, बदल, परिवर्तित, संशोधित या परिष्कृत कर सकता है।

व्यावृत्ति (Savings)

8.4 इन विनियमों की कोई भी बात, ऐसे आदेश पारित करने हेतु जो न्याय के उद्देश्यों हेतु आवश्यक हो या आयोग की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु आयोग की अन्तर्निहित शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाली नहीं समझी जायेगी।

8.5 इन विनियमों में कोई भी बात, आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किन्तु विनियमों के प्रावधानों से भिन्न प्रक्रिया,, को अंगीकार करने से नहीं रोकेगी, यदि आयोग की दृष्टि में

किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों में और ऐसे विषय या विषयों के वर्ग से व्यवहार करने हेतु कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करते हुए आवश्यक या समीचीन समझा जाता है ।

- 8.6 इन विनियमों में कोई भी बात, आयोग को अधिनियम के अधीन ऐसे किसी विषय पर विचार करने से या किसी शक्ति का प्रयोग करने से अभिव्यक्त करने से नहीं रोकेगी, जिसके लिये विनियमों में कोई प्रावधान नहीं किया गया हो और आयोग ऐसे विषयों, शक्तियों एवं कृत्यों को इस रीति से व्यावहारिक कर सकेगा, जो उचित समझें ।

छूट:-

- 8.7 बाढ़, तूफान (चक्रवात), जैसे अंधड़, युद्ध, विद्रोह, सिविल, अशांति, दंगा, ग्रिड फेल होना, तथा हडताल/कर्फ्यू तालाबन्दी, आग के दौरान विनिर्दिष्ट कार्य करने के मानक से अनुशक्ति शिथिल कर सकेगा ।
- 8.8 विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत आयोग साधारण या विशिष्ट मामलों में उसके आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विनियमों के उपबंधों को भी शिथिल कर सकेगा ।

टीप :- मध्यप्रदेश पारेषण सम्पादन करने के मानक के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा ।

अनुलग्नक

पारेषण सम्पादक करने के मानकों पर तिमाही रिपोर्ट राज्य पारेषण यूटिलिटी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तिमाही समाप्ति की रिपोर्ट							प्रस्तुती करण की तारीख
खण्ड निर्देश	मानक का प्रवर्ग	कार्य सम्पादन के मानक	मापने योग्य पैरामीटर	आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट मापने योग्य पैरामीटर का मूल्य	तिमाही के लिए वास्तविक उर्पाजन	टिप्पणी	
				पैरामीटर का नाम –	विनिर्दिष्ट मूल्य		

टिप्पणी :-

1. राज्य पारेषण युटिलिटी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उपकेन्द्र स्तर पर डाटा वेस जैसे लांग शीट, शिकायत रजिस्टर तथा व्यवधान रजिस्टर आदि बनाएगा ।
2. तिमाही रिपोर्ट के संकलन के लिए वृत्त स्तर पर उपकेन्द्र का बेस डाटा उपयोग होगा ।
3. सम्पूर्ण राज्य पारेषण युटिलिटी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए समेकित रिपोर्ट केन्द्र बार संकलन पर आधारित होगी ।
4. उप केन्द्र स्तर पर सर्किल बाइज (केन्द्र बार) संकलन आयोग के अधीन समीक्षा की जा सकेगी जैसी आवश्यक है ।

**रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का नाम
पदामिधान**